भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 710

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों का लंबित होना**

**710. श्री विजय पाल सिंह तोमर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में दस वर्ष़ों से भी ज्यादा समय से दस लाख से भी ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मामलों के दस वर्ष से भी ज्यादा समय तक लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीठ की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव है, ताकि उस न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** उच्च न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने सम्बन्धी आंकड़ें सम्बन्धित उच्च न्यायालयों द्वारा रखे जाते हैं । आज की तारीख तक राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक समय से 8.48 लाख मामले लंबित हैं । दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के उच्च न्यायालय वार ब्यौरे उपाबंध (1) पर विवरण में दिए गए हैं ।

**(ग) और (घ) :** न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । किसी मामले के निपटान में लगा समय अनेक कारकों, जैसे मामले (सिविल या दांडिक), का प्रवर्ग अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और लागू प्रक्रिया के नियम की उपलब्धता के अतिरिक्त पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अधिकरणों, साक्षियों और वादकारियों के सहयोग पर निर्भर करता है । सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है ।

**(ङ)** **:** उच्च न्यायालय की न्यायपीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार तथा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से संबंधित सरकार के राज्यपाल की सहमति के साथ प्राप्त संपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किए जाने के पश्चात् स्थापित की जाती हैं । राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की न्यायपीठ उसके प्रधान स्थान से दूर स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करनी होती है और उच्च न्यायालय तथा उसकी न्यायपीठ के संपूर्ण व्यय को वहन करना होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की जाती है कि उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करे और न्यायाधीशों को समय-समय पर प्रधान स्थान से न्यायपीठ को भेजे। अतः, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों ही सभी दृष्टिकोणों से मामले पर विचार करते है और सर्व-सम्मति पर पहुंचते हैं। वर्तमान में, सभी पहलुओं की दृष्टि से कोई पूर्ण प्रस्ताव, जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्ताव भी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए लंबित नहीं है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध**

**विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बारे में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 710 जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है, का निर्दिष्ट विवरण**

**Cases pending in High Courts for more than 10 yearsउच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sr. No.क्र.सं.**  | **High Court Nameउच्च न्यायालय का नाम**  | **Cases pending for more than ten years.दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले।**  |
| 1. 1.
 | Allahabad High Courtइलाहाबाद उच्च न्यायालय  | 273035273,035 |
|  | Calcutta High Courtकलकत्ता उच्च न्यायालय  | 85698569 |
|  | Gauhati High Courtगुवाहाटी उच्च न्यायालय  | 346346 |
|  | बम्बई High Courtof Bombayउच्च न्यायालय  | 7134671,346 |
|  | छत्तीसगढ़ High Courtof Chhattisgarhउच्च न्यायालय  | 62736273 |
|  | दिल्ली High Courtof Delhiउच्च न्यायालय  | 79097909 |
|  | गुजरात High Courtof Gujaratउच्च न्यायालय  | 1353913,539 |
|  | हिमाचल प्रदेश High Courtof Himachal Pradeshउच्च न्यायालय  | 13551355 |
|  | High Courtof Jammuand Kashmirजम्मू -कश्मीर उच्च न्यायालय  | 74797479 |
|  | झारखंड High Courtof Jharkhandउच्च न्यायालय  | 1520715,207 |
|  | हैदराबाद High Courtof Judicatureat Hyderabadउच्च न्यायालय  | 4682146,821 |
|  | High Courtof Karnataka कर्नाटक उच्च न्यायालय | 58505850 |
|  | केरल High Courtof Keralaउच्च  | 1725917,259 |
|  | मध्य प्रदेश High Courtof Madhya Pradeshउच्च न्यायालय  | 6376063760 |
|  | मणिपुर High Courtof Manipurउच्च न्यायालय  | 554554 |
|  | High Courtof Punjaband Haryanaपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय  | 5884158,841 |
|  | राजस्थान High Courtof Rajasthanउच्च न्यायालय  | 7640976,409 |
|  | उत्तराखंड High Courtof Uttarakhandउच्च न्यायालय  | 2238122,381 |
|  | Madras High Courtमद्रास उच्च न्यायालय  | 9986799,867 |
|  | Orissa High Courtउड़ीसा उच्च न्यायालय  | 3043030430 |
|  | Patna High Courtपटना उच्च न्यायालय  | 2152521,525 |
| **Total casespending for more than 10 yearsकुल मामले** **10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं**  | **848755848,755** |

**Source:NJDG Data.स्रोत:** राष्ट्रीय न्यायिक **आंकड़ा ग्रिड़**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*